राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 12 JUL

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने के क्रम में।**
प्रसंगः **इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 16.04.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर राजस्थान की डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3276/2013 पंकज कुमार कांकरा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य की स्थगन याचिका संख्या 2567/2013 व अन्य स्थगन याचिकाओं में दिये गये निर्णय दिनांक 05.04.2013 की पालना में अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं। कई जिलों से सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें जिलों में संबंधित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। सभी जिला परिषदों द्वारा सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण–पत्र एवं अन्य मूल दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है। अधिकांश विज्ञप्तियों में दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अन्तिम दिनांक जुलाई के प्रथम सप्ताह में रखी गई है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को इस विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही शीघ्र करें ताकि दस्तावेज प्रमाणीकरण की अन्तिम तारीख से पूर्व अनुभव प्रमाण–पत्र कार्मिक द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5 अति. आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस जयपुर।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, जयपुर।
8 अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस